



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 पौष 1943 (श10)

(सं0 पटना 1072) पटना, बृहस्पतिवार, 30 दिसम्बर 2021

okf.kT ;&d j foHkx

vf/k l puk

30 दिसम्बर 2021

अधिसूचना संख्या 19/2021-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 168, दिनांक 30 दिसम्बर 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम- 12, 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 02/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 545, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

- (i) क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 43ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सब्जियां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित रखी गयी हो, लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (iii) क्रम संख्या 49 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य नट्स, ताज़ा, जैसे बादाम, हेज़लनट्स या फ़िलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.), अखरोट,चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी.), अरीका नट्स, पाइन नट्स, ताज़ा,चाहे कवच रहित या छिलका रहित हों या नहीं",को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा- :

"97क	2009 89 90	टैंडर नारियल जल, यूनिट कंटेनर में रखे गए से भिन्न और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम ना हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम ना हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में करवाई योग्य दवा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गयी शर्तों के आधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहाँ के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी करवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";
------	------------	---

- (v) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 141 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8807" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-13)19)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

30 दिसम्बर 2021

एस० ओ०. 168, दिनांक 30 दिसम्बर 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-13)19)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

*The 30th December 2021***Notification No. 19/2021– State Tax (Rate)**

S.O.168, Dated 30th December 2021— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 02/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 545, dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Schedule, -

- (i) against S. No. 22, for the entry in column (2), the entry “0303,0304,0305,0306, 0307,0308,0309” shall be substituted;
- (ii) against S. No. 43B, in column (3), for the entry, the entry “Vegetables provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption” shall be substituted;
- (iii) against S. No. 49, in column (3), for the entry, the entry “Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (*Corylus* spp.), walnuts, Chestnuts (*Castanea* spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (*Cola* spp.), Areca nuts, Pine nuts, fresh, whether or not shelled or peeled” shall be substituted;
- (iv) after S. No. 97 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“97A	2009 89 90	Tender coconut water other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any such actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE I]”;
------	------------	---

- (v) S. No. 101 and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (vi) against S. No. 141, for the entry in column (2), the entry “8807” shall be substituted;
2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13) 19)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1072-571+10-डी0टी0पी01

Website: <http://egazette.bih.nic.in>